



एम्स/राजकोट/प्रशा./2024-25/११५२

दिनांक: 27/05/2024

ज्ञापन

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत स्थापित जांच-बिन्दुओं का कड़ाई से पालन करने संबंधी।

एतद् द्वारा एम्स राजकोट के सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं संकाय सदस्यगण को सूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु जारी राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित सभी जांच-बिन्दु स्थापित हैं, जिन्हें निम्नानुसार और अधिक प्रभावी बनाया जाना अपेक्षित है:-

- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3 (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज अर्थात् सामान्य आदेश (General Orders), ज्ञापन (Memoranda), परिपत्र (Circulars) संकल्प (Resolutions), अधिसूचनाएं (Notifications), नियम (Rules), करार (Agreements), संविदा (Contracts), टेंडर (Tenders), नोटिस (Notices), संसदीय रिपोर्ट (Parliamentary Reports) तथा संसदीय प्रश्न (Parliamentary Questions) आदि अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हस्ताक्षर करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उक्त दस्तावेज द्विभाषी रूप में ही जारी हो रहे हैं।
- राजभाषा नियम 5 के तहत अधिकारी/कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।
- संस्थान के सभी फार्मों, कोडो, मैनुअलों और गजट की सामग्री और रजिस्ट्रों के शीर्षक तथा शीर्ष नाम के मुद्रण का आदेश देने वाले अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी में ही छपवाए जाएं।
- सामान्य अनुभाग तथा सभी विभागों का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में प्रयोग में आने वाले सभी पत्र-शीर्ष, सील, विजिटिंग कार्ड, लोगो एवं रबर की मोहरें आदि हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।
- प्रभारी अधिकारी (कंप्यूटर सुविधा) / भंडार अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि संस्थान में प्रयोग किए जा रहे/खरीदे जा रहे सभी कंप्यूटर द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधायुक्त अर्थात् हिन्दी देवनागरी (मंगल In script) प्री इस्टॉल होना चाहिए हैं।
- सामान्य अनुभाग तथा सभी केन्द्रों द्वारा जांच बिन्दु के रूप में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 'क' तथा 'ख क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जा रहे हैं।
- इंजीनियरिंग सेवा विभाग का यह सुनिश्चित किरने का उत्तरदायित्व होगा कि संस्थान के सभी विभागों / अनुभागों में सभी नामपट्ट व साइनबोर्ड तथा चार्ट / नक्शे आदि त्रि-भाषी अर्थात् पहले क्षेत्रीय भाषा (गुजराती), दूसरी हिन्दी, तीसरी अंग्रेजी रूप में बनवाए जा रहे हैं।
- संस्थान तथा केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/लेखा/भंडार अधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उनके नियंत्रणधीन सेवा पुस्तिकाओं/ रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिन्दी में हो रही है।
- संस्थान तथा केन्द्रों के संबंधित प्राधिकारीगण का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि अखबारों/प्रिंट मीडिया-पत्रिकाओं, पैम्फलेट, इलेक्ट्रॉनिक (टी.वी./ फिल्म आदि) तथा प्रदर्शन (बैनर आदि) के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर किए जाने वाले कुल खर्च का 50 प्रतिशत खर्च हिन्दी में विज्ञापन/प्रचार पर किया जाएगा।



• संस्थान के सभी विभाग / अनुभाग अध्यक्षगण/केन्द्र प्रमुखगण का यह दायित्व होगा कि सभी प्रकार के निरीक्षणों की रिपोर्ट, चाहे वह प्रशासनिक हो, तकनीकी हो या आंतरिक परीक्षा की हो, हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में तैयार की जाएंगी तथा प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा के प्रयोग संबंधी टिप्पणी/अनुदेश दिए जाएंगे।

• संस्थान तथा अनुभागों के सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि नियम 1976 के नियम 8 (4) के तहत जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं वे व्यावहारिक रूप से हिन्दी में कार्य कर रहे हैं।

• प्रभारी अधिकारी (वाहन) / केन्द्रों का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि संस्थान/केन्द्रों के सभी वाहनों पर कार्यालयों का विवरण द्विभाषी रूप में लिखा जा रहा है।

• सुरक्षा अधिकारी का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि सुरक्षा संबंधी जानकारी, सभी सूचनाएं एवं संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले सभी पहचान-पत्र व उनमें दर्शायी गई सूचना द्विभाषी हैं।

• सभी केन्द्र-प्रमुखगण/नोडल राजभाषा अधिकारीगण का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, माननीय संसदीय राजभाषा समिति तथा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति आदि द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों का उनके सम्बद्ध विभाग/अनुभाग / केन्द्र में समुचित पालन हो रहा है।

• राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार संस्थान का प्रधान होने के नाते मेरा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों और भारत सरकार राजभाषा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का संस्थान में समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। अतः आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के नियम 1976 के नियम 12 को विचार में लेते हुए उपर्युक्त सभी जांच बिन्दुओं का संस्थान में कड़ाई से पालन करने में मुझे पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को यथालक्ष्य आगे बढ़ाया जा सके।

उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेजों का अनुवाद, समन्वय एवं सुझाव हेतु hindicellaiimsrajkot@gmail.com पर संपर्क किया जाए।

नोट- 'क्षेत्र क' में बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं;

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



प्रतिलिपि,

1. कार्यकारी निदेशक, एम्स राजकोट
2. सभी विभाग/ अनुभाग-अध्यक्षगण/ संकाय सदस्यगण, एम्स राजकोट
3. प्रशासनिक अधिकारी, एम्स राजकोट
4. लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
5. उप चिकित्सा अधीक्षक, एम्स राजकोट
6. प्रभारी आईटी सेल, एम्स राजकोट कृपया इमेल के माध्यम से सभी संबंधितों को वितरित एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

पुनीत कुमार अरोड़ा

**कर्नल पुनीत कुमार अरोड़ा
उप निदेशक (प्रशासन), एम्स राजकोट**

**उप निदेशक (प्रशासन)
DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट - ३६०११०
All India Institute of Medical Sciences, Rajkot - 360110**

Permanent Campus: Village Khandheri, Tehsil- Paddhari, District Rajkot 360110

dda.aiimsrajkot@gmail.com